



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,

लखनऊ ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2026

विषय:- जनपद संतकबीरनगर के थाना बेलहरकला में निर्माणाधीन 48 नग हास्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-49-2022(संतकबीरनगर), दिनांक 10.06.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संतकबीरनगर के थाना बेलहरकला में निर्माणाधीन 48 नग हास्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1164/2023/001-सीएन-1696427-6-7099-285-2023 दिनांक 20.09.2023 द्वारा धनराशि ₹0 227.98 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि ₹0 113.99 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया। पुनः शासनादेश संख्या-852/2024/001-6-7099-285-2023 दिनांक 18.12.2024 द्वारा प्रश्रुत कार्य हेतु धनराशि ₹0 102.59 लाख अवमुक्त की गयी। प्रश्रुत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत धनराशि ₹0 223.63 लाख के सापेक्ष व्यय हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि ₹0 216.58 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल अवशेष देय धनराशि ₹0 7,05,000/- (रुपये सात लाख पांच हजार मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय।
2. उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।
5. उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जायेगा।
6. पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उ०प्र० पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।
11. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय - व्यय) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।
12. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्रुत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/खोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्वावृत्ति नहीं हो रही है।
13. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी।
14. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
15. जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय होगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हों।
16. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
17. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका से सुसंगत, प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
19. पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
20. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2027 तक कर लिया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,05,000 (रुपये सात लाख पाँच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002070600 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्यय) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-437/2026/1/1383540/2026/001-CN-1696427-6-7099-285-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
- 6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
- 11- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।